

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

शंकर लाल पिता घीसालाल कलाल नि. आमल्दा

बनाम

खाना पिता कल्याण गुर्जर नि. नयानगर मनोहरपुरा वगैरह

मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए.

मुकदमा नं. 782/23

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुक्म की
तामील में जारी हुये

23

प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम मनोहरपुरा प. ह. मनोहरपुरा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 385/2 रकबा 0.0809 हेक्टेयर, आ. न. 413/2 रकबा 0.5666 हेक्टेयर, आ. न. 413/3 रकबा 0.5666 हेक्टेयर, 736/386 रकबा 0.4694 हेक्टेयर, आ. न. 80/12 रकबा 0.0728 हेक्टेयर कुल कित्ता 06 रकबा 1.8939 हेक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पंडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।

मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।

अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम मनोहरपुरा प. ह. मनोहरपुरा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 385/2 रकबा 0.0809 हेक्टेयर, आ. न. 413/2 रकबा 0.5666 हेक्टेयर, आ. न. 413/3 रकबा 0.5666 हेक्टेयर, 736/386 रकबा 0.4694 हेक्टेयर, आ. न. 80/12 रकबा 0.0728 हेक्टेयर कुल कित्ता 06 रकबा 1.8939 हेक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक अमरगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनांक 5.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

रीडर / 2023 / 782/2023

दिनांक :- 05.07.2023

तहसीलदार जहाजपुर

प्र. सं. 782/2023 शंकर लाल पिता घीसालाल कलाल नि. आमल्दा बनाम खाना पिता कल्याण गुर्जर नि. नयानगर मनोहरपुरा, नंदू पिता बंशीलाल खटीक नि. आमल्दा, मांगीलाल पिता गोगा कलाल नि. आमल्दा, भवाना पिता नंदा कलाल नि. आमल्दा, गोपाल पिता देबीलाल नाई नि. आमल्दा, गोपाल पिता भोजा गुर्जर नि. नयानगर मनोहरपुरा, तहसीलदार वगैरा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम मनोहरपुरा प. ह. मनोहरपुरा तहसील पुर में स्थित आ. न. 385/2 रकबा 0.0809 हेक्टेयर, आ. न. 413/2 रकबा 0.5666 हेक्टेयर, आ. न. 413/3 0.5666 हेक्टेयर, 736/386 रकबा 0.4694 हेक्टेयर, आ. न. 80/12 रकबा 0.0728 हेक्टेयर कुल किता 06 1.8939 स्थित भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक अमरगढ कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित न किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)